न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्या:– 07/22 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस सख्या :– 2022/90

उनवान

1. सुब्बा पुत्र मुंशी जाति मेव निवासी ग्राम चिनावडा तहसील पहाडी जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. इलियास
2. कासम } पिसरान चावखॉ जाति
3. फारूक
4. मकसूदन पुत्री चावखॉ पत्नि रफीक जाति मेव निवासी झांडा तहसील पुन्हाना हरियाणा।
5. जुहरी पत्नि चावखॉ जाति मेव निवासी चिनावडा तहसील पहाडी।
6. नवाब पुत्र रूस्तम
7. साहबू पुत्र रूस्तम
8. खुर्शीद पुत्र मुंशी } जाति मेव निवासी ग्राम चिनावडा तहसील पहाडी जिला भरतपुर।

..... रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0काश्त0 अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय सहायक कलक्टर, पहाडी दि0 06.05.2022 मि.नं. 80/15 उनवानी सुब्बा बनाम इलियास।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री प्रवीण चौधरी उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री मुकेश कुमार उपस्थित।

निर्णय

दिनांक–02.01.2024

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय सहायक कलक्टर, पहाडी के निर्णय व डिक्री दिनांक 06.05.2022 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, व 188 राजस्थान का तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

विवादित आराजी किता 22 रकवा 7.90 है0 वाके ग्राम चिनावाडा तहसील पहाडी में स्थित है। वादी अपीलाण्ट व प्रतिवादी रैस्पो0 एक ही परिवार के सदस्य हैं एवं पूर्वज निजरू के वारिसान हैं। विवादित आराजी समस्त पैतृक आराजी है। दादा निजरू के दो लडके मुंशी व चावखॉ थे। मुताबिक कानून साविक खसरा नम्बर 15 कुल रकवा 7.90 है0 एवं खसरा नम्बर 156/0.11 जो कि दादा निजरू का था यह नंबर चावखॉ के हिस्से में आया था जो चाव खॉ ने अजीम पुत्र राजू जाति मेव निवासी चिनावडा को बेच दिया था इस प्रकार रकवा 7.90 व 0.11 कुल 8.00 है0 हुआ जिसमें वादी पक्ष निस्फ निस्फ हिस्सा यानि 4.00 है0 के हकदार हुये। प्रतिवादीगण असल के पिता ने आराजी खसरा नम्बर 156/0.11 का बेचान भी कर दिया है फिर भी आज चावखॉ के खाते में 4.08 है0 रकवा दर्ज है एवं वादी पक्ष ने तो हमारे पिता मुंशी ने ना ही हम तीनो भाईयों ने जमाबन्दी हाल के कालॅम संख्या 05 में दर्ज किसी भी नंबर का कोई भी हिस्सा पूर्व में बेचान नहीं किया है हमारे हिस्से में कालॅम संख्या 05 में जो नंबर व हिस्सा दर्ज है वही हमारे नाम है शेष कोई नंबर कभी नहीं थे फिर भी हमारे हिस्से में मात्र 3.82 है0 दर्ज है। इस प्रकार शामिल खाते में 51 एयर अकेले चावखॉ के खाते में दर्ज है। जिससे उसका रकवा फालतू बैठता है। इस प्रकार वादी अपीलाण्ट उक्त 18 एयर रकवा को अपने नाम करा पाने का अधिकारी है। अतः वाद प्रस्तुत कर उक्तानुसार डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई, अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादीगण/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिले खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 01 का निर्णय करने में तथ्यात्मक त्रुटि की है। जबकि वादी अपीलाण्ट तनकी संख्या 01 को अपने पक्ष में सिद्ध करने में पूर्णतया सफल रहा है। विवादित आराजी अपीलाण्ट व रैस्पो0 के पिता जो आपस में खास भाई थे, से समस्त आराजी अपने पूर्वजो से विरासतन प्राप्त हुई है। वर्तमान में विवादित आराजी रैस्पो0 के पास 0.18 एयर रकवा अधिक दर्ज है। परन्तु कब्जा अपीलाण्ट के पास ही है। इसलिये वादी अपीलाण्ट स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी तनकियों को तय करते समय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की कोई विवेचना अपीलाधीन आदेश में नहीं की है। कुँआ दोनों भाईयो का सामलाती है एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

दोनों की लागत से बना है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किये जाने का निवेदन किया।

4. रैस्पो० के विद्वान अभिभाषक ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की पूर्ण विवेचना की जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। समान पक्षकारो के मध्य विभाजन का दावा चला था। जिसमें विवादित आराजी का बॅटवारा हुआ। अपीलाण्ट ने उस दावे में राजीनामा दिया था एवं राजीनामा से ही विवादित आराजी का बॅटवारा हुआ है। उक्त डिक्री को अपीलाण्ट ने कही चुनौती नहीं दी। इस प्रकार अपीलाण्ट को नया दावा ना लाते हुये, पूर्ववर्ती दावे की अपील करनी चाहिये थी। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। हम पाते हैं कि विवादित आराजी के संबंध में पूर्व में इन्हीं पक्षकारो के मध्य, अधीनस्थ न्यायालय में विभाजन का दावा चला, जो उभयपक्ष की सहमति/राजीनामा से दिनांक 28.06.2006 को डिक्री हुआ। वादी अपीलाण्ट को यदि उक्त निर्णय से कोई उज्र था, तो उन्हें पूर्ववर्ती वाद की अपील प्रस्तुत करनी चाहिये थी। परन्तु उनके द्वारा ऐसा ना करते हुये, पुनः विवादित आराजी बाबत् नवीन वाद प्रस्तुत करना, विधि अनुसार वर्जित है। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 11 "पूर्व न्याय" में स्पष्ट अंकित है कि कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद या विवाद्यक का विचारण नहीं करेगा जिसमें प्रत्यक्षतः और सार, विवाद विषय उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले, उन्हीं पक्षकारो के बीच के या ऐसे पक्षकारो के बीच, जिनसे व्युत्पन्न अधिकारो के अधीन वह या उनमें से कोई दावा करते हैं, व किसी पूर्ववर्ती वाद में न्यायालय में प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद रहा है, जो ऐसे पश्चात् वाद का या उस वाद का जिसमें ऐसा विवाद्यक वाद में उठाया गया है व पूर्व में विचारण करने में सक्षम था और न्यायालय द्वारा उसे सुना जाकर प्रकरण का अन्तिम रूप में विनिश्चित किया जा चुका है। इस प्रकार प्रकरण में रेसज्यूडिकेटा लागू होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी पूर्व न्याय (RESJUDICATA) के बिन्दु, पर तनकीयात कायम कर पूर्व के प्रकरण के वादपत्र, जवाब दावा, विरचित विवाद्यक एवं न्यायालय के पूर्व निर्णय के तथ्य एवं विधि के मिश्रित बिन्दु, पर साक्ष्य आदि लेने के बाद ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसमें हम हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं पाते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी के निर्णय व डिक्री दिनांक 06.05.2022 यथावत रखें जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

वापस लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 02.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

02-01-2024
(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर